संख्या-624/2025/39-4-2025/001-10-10-2018TC-4

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक जुलाई, 2025

विषय:- उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के पुराने वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक(मु0), उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4/एम0-61/2016 दिनांक 14.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सतर्कता अधिष्ठान के निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में तीन नए वाहनों (दो MARUTI ERTIGA SMART HYBRID VXI 1.5L 5MT और एक MARUTI DZIRE VXI 1.2L ISS 5MT) कुल लागत रु0 24,47,317.00/- (रूपये चौबीस लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सत्रह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की संगत नियमों के अन्तर्गत नीलामी कराने के उपरान्त प्राप्त कुल धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा करने के उपरांत ही प्रतिस्थापन स्वरूप उक्त स्वीकृति नये वाहनों को क्रय किये जाने हेतु अपेक्षित धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उक्त वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के नवीनतम शासनादेश दिनांक 21.12.2023 एवं समय-समय पर यथासंशोधित शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चत करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब वाहनों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।
(4) निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता एवं समयान्तर्गत आपूर्ति आदि के संबंध में पूर्णतः स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
(5) वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।
(6) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय आवश्यकताओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।
(7) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त तीनों निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर पूर्व वर्षों में किसी प्रकार के नवीन वाहन क्रय नहीं किये गये है।
(8) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में सुसंगत लेखाशीर्ष के विनियोग के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेगें।
(9) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(10) स्वीकृत धनराशि का प्रयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। वाहनों के क्रय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे नियमानुसार चालू वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित करते हुए राजकोष में जमा किया जायेगा।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 24,47,317 (रुपये चौबीस लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सत्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 082 **लेखा शीर्षक** 4070008000400 सतर्कता निदेशालय **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-180-X-2025-26 दिनांक 25.07.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- /2025/ /001-10-10-2018TC-4, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट)प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक(मु0), उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
(4) सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7) नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।
(8) आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।